

## बिहार सरकार

### राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

#### (भू-अर्जन निदेशालय)

#### अधिघोषणा

एस0 ओ0: .....-2864/रा0

/रा0, दिनांक -11-12-13

चूँकि राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि ग्राम-छर्रापट्टी, थाना नं0-199 परगना-फरकिया, थाना-अलौली, जिला-खगड़िया में अलौली प्रखंड अन्तर्गत 33/11 के0भी0 विद्युत सब स्टेशन निर्माण हेतु भू-अर्जन परियोजना के लिये सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा भूमि का अधिग्रहण अपेक्षित है। इसलिए इसके द्वारा अधिघोषणा किया जाता है कि उपर्युक्त योजना के पूर्व पूर्वोक्त ग्राम-छर्रापट्टी, थाना नं0-199 के भीतर कमोवेश बीघाXकट्टाXछटांकXधूर का, जो मानक माप से 0.50 एकड़ के बराबर होता है। एक भूखण्ड अपेक्षित है। जिसमें 0.50 एकड़ भूमि कृषि योग्य भूमि है एवं X एकड़ बंजर भूमि है। जिसका खेसरा सं0-1660 का अंश है।

इस भूखण्ड की चौहद्दी निम्न प्रकार है।

- उत्तर - सर्वे खेसरा सं0-1660 का अंश।  
दक्षिण - सर्वे खेसरा सं0-1660 का अंश।  
पूरब - सर्वे खेसरा सं0-1660 का अंश।  
पश्चिम - सर्वे खेसरा सं0-1661 का अंश।

भूमि या भूमि के किसी भाग के नीचे पड़ने वाली कोयला, लोहा, पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों के खनन की आवश्यकता नहीं है किन्तु खानों एवं खनिजों के केवल वे भाग जिन्हें जिसे कार्य के लिए भूमि अर्जित की जा रही है। उनके निर्माण के लिए खोदना, हटाना, या उपयोग में लाना होगा, ले लिये जायेंगे।

यह घोषणा अधिनियम 1 1894 की धारा 6 तथा भूमि अर्जन (बिहार संशोधन अधिनियम 1960 बिहार अधिनियम 11 1961) के उपबंधों के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है जिसका इससे संबंध हो।

भूमि का नक्शा भूमि-अर्जन पदाधिकारी खगड़िया के कार्यालय में देखा जा सकेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, खगड़िया।  
अपर समाहर्ता, खगड़िया।  
समाहर्ता, खगड़िया।  
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक -2864/रा0, दिनांक -11-12-13

प्रतिलिपि:- 1. तीन अतिरिक्त प्रतियों सी0डी0 के साथ निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग बिहार, पटना को दैनिक समाचार पत्रों जिसमें एक स्थानीय भाषा हो, प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित संस्करण प्रति जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, खगड़िया को भेजने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- 2. प्रभारी उपसमाहर्ता जिला गजट खगड़िया को जिला गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित गजट की पौंच-पौंच प्रतियों इस विभाग एवं जिला भू-अर्जन कार्यालय, खगड़िया को भेजने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- समाहर्ता/अपर समाहर्ता एवं जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि . आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर को सूचना प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव